सं. 4-6/2015-बीपी-2(कल्याण संस्थान)

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 3 फरवरी 2016

सेवा में

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
भारतीय खाद्य निगम
16-20 बाराखम्बा लेन
नई दिल्ली- 110001

विषय : अक्टूबर, 2015 से मार्च 2016 तक अर्थात् वर्ष 2015-16 की द्वितीय छमाही हेतु केरल सरकार को कल्याण संस्थान स्कीम के अंतर्गत खाद्यान्नों (चावल) का आवंटन।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के समसंखयक आवंटन पत्र दिनांक 07.05.2015, 14.12.2015 और 18.01.2016 के अनुक्रम में वर्ष 2015-16 की द्वितीय छमाही (अक्टूबर, 2015 से मार्च, 2016) के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के मूल्यों पर कल्याण संस्थान स्कीम के अंतर्गत केरल सरकार को 75.707 टन चावल का मासिक आवंटन माह अक्टूबर, 2015 से मार्च, 2016 हेतु सरकार का अनुमोदन संप्रेषित करने का निर्देश हुआ है। केरल राज्य को चावल का उपर्युक्त आवंटन मार्च 2015 तक खाद्यान्न की 849.715 टन (412.657 टन गेंहू और 437.058 टन चावल) मात्रा के समायोजन के बाद किया गया है।

2. उपर्युक्त खाद्यान्न (चावल) की लागत जमा करने और उठान करने की वैधता अवधि 31.03.2016 तक होगी।

3. भारतीय खाद्य निगम उपरोक्त पैरों के अनुसार खाद्यान्न (चावल) जारी करेगा। खाद्यान्न की उक्त मात्रा भारतीय खाद्य निगम ऊपर उल्लेखित पैरा के अनुसार खाद्यान्न (चावल) जारी करेगा। खाद्यान्न की उपरोक्त मात्रा राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्न की लागत के पूर्व-भुगतान पर राज्य सरकार को भारतीय खाद्य निगम के नजदीकी गोदाम/डिपो से जारी की जाएगी।

4. भारतीय खाद्य निगम अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को उचित निर्देश जारी करें और इस विभाग को भी तदनुसार सूचित करें ।

भवदीय,

असित

(असित हलदर)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23382504

प्रतिलिपि:

1 सचिव, खाद्य, नागारिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, केरल सरकार- वर्ष 2016-17 के लिए खाद्यान्न आवंटन पर, वर्ष 2015-16 के उपयोगिता प्रमाण-पत्र पर संबंधित खाद्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित प्रारूप जीएफआर-19-ए में प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा। उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण खाद्यान्न के गैर-आवंटन की जिम्मेदारी पूरी तरह से संबंधित राज्य सरकार की होगी।

2. महा प्रबंधक (बिक्री), भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।

3. अवर सचिव (संचलन-1)/ अवर सचिव (नीति-1)/अवर सचिव(बीपी-3)/एफ़डी-3 अनुभाग/गार्ड फाईल।